26

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 2591–दो/2014 – विरूद्ध आदेश दिनांक 18–12–2013 – पारित द्वारा – राजस्व निरीक्षक, वृत्त चनौड़ी तहसील जैतपुर जिला शहडौल – प्रकरण कमांक 1/2013–14 अ–12

रिलायन्स इंड्रस्टीज लिमिटेड
सीबीएम प्रोजेक्ट कार्यालय
ग्राम लालपुर तहसील सोहोगपुर
जिला शहडौल मध्य प्रदेश ---आवेदक

विरूद्ध

देवशरण यादव पुत्र झुलुआ यादव
ग्राम बैरिहा तहसील जैतपुर
जिला शहडौल मध्य प्रदेश --अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री अरूण सिंह)

आ दे श

(आज दिनांक 03 – 11 –2017 को पारित)

यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, वृत्त चनौड़ी तहसील जैतपुर जिला शहडौल के प्रकरण कमांक 1/2013–14 अ–12 में पारित आदेश दिनांक 18–12–2013 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक ने उसके स्वामित्व की ग्राम बैरिहा स्थित भूमि सर्वे कमांक 353/2 रकबा 0.405 हैक्टर, 354/2 रकबा 0.809 हैक्टर के सीमांकन की प्रार्थना हेतु उप तहसील न्यायालय चनौड़ी में आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिस पर से राजस्व निरीक्षक वृत्त चनौड़ी ने प्रकरण कमांक 1 अ–12/13–14 पॅजीबद्ध किया तथा ग्रामीण मेढ़िया कास्तकों को सीमांकन तिथि की सूचना जारी की। अनावेदक की भूमि का सीमांकन करने के

उपरांत किसी प्रकार की आपत्ति न आने पर राजस्व निरीक्षक, वृत्त चनौड़ी तहसील जैतपुर जिला शहडौल ने आदेश दिनांक 18-12-2013 पारित किया तथा उक्तांकित भूमि के सीमांकन को अंतिमता प्रदान की। राजस्व निरीक्षक के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के अभिभाषक को निगरानी की प्रचलनशीलता पर एंव निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर सुना गया तथा अधीनस्थ अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनावेदक को बार-बार सूचना पत्र भेजे गये किन्तु सम्यक सूचना के निर्वहन का अभाव होना पाया गया।

4/ आवेदक के अभिभाषक का तर्क है कि आवेदक कंपनी भारत सरकार की कोल वेड मीथेन के सर्वे, उत्खनन एंव उत्पाद के कार्य हेतु सोहागपुर क्षेत्र के लिये अधिकृत है । सोहागपुर के पश्चिम में कुल क्षेत्रफल 500 वर्ग किलो मीटर एंव पूर्वी क्षेत्र 495 कि.मी. में कार्य करने के लिये अधिकृत है। ग्राम बैरिहा स्थित आराजी क्रमांक 353/1/2 रकबा 0.405 हैक्टर निगरानीकर्ता के कब्जे एंव स्वत्व की भूमि है जिसे पंजीकृत विक्रय पत्र से क्रय किया गया है किन्तु राजस्व निरीक्षक ने सर्वे क्रमांक 353/2 रकबा 0.405 हैक्टर, 354/2 रकबा 0.809 हैक्टर के सीमांकन के आवेदन पर आवेदक कंपनी को सूचना दिये बिना गलत आधारों पर सीमांकन किया है इसलिये सीमांकन एकपक्षीय होने से निरस्त किया जाय।

5/ आवेदक के अभिभाषक के तर्कों पर विचार करने एंव राजस्व निरीक्षक वृत्त चनौड़ी ने प्रकरण क्रमांक 1 अ-12/13-14 के अवलोकन से परिलक्षित है कि राजस्व निरीक्षक ने विवादित भूमि के सीमांकन का आवेदन आने पर दिनांक 1-12-2013 को प्रातः 10 बजे सीमांकन करने की तिथि व समय नियत किया है और मेढ़िया कृषकों को सूचना पत्र दिनांक 27-11-13 जारी किया है किन्तु मेढ़िया कास्तकार रिलायन्स इंड्रस्टीज लिमिटेड पक्षकार क्रमांक 2 अंकित होने के वाद शेष 4 पक्षकारों को सूचना का निर्वहन कर पावती ली गई है किन्तु कंपनी के किसी कारिन्दे की पावती का स्थान रिक्त है एंव हस्ताक्षर नहीं है। इसी सूचना पत्र पर नीचे लिखा है कि किसी कारणवश यह तिथी बदलकर 15-2-13 को सीमांकन कार्य नियत किया गया है अर्थात नियत तिथि 1-12-2013 को सीमांकन नहीं किया गया है। राजस्व निरीक्षक वृत्त चनौड़ी

तहसील जैतपुर का दायित्व था कि यदि नियत दिनांक 1-12-13 को सीमांकन नहीं किया जा सकता, पुनः सीमांकन तिथि की सूचना सभी मेढ़िया कास्तकारों को जारी करके पुनः विधिवत् सीमांकन करते, किन्तु उनके द्वारा ऐसा नहीं किया गया है जिसके कारण राजस्व निरीक्षक द्वारा की गई सीमांकन कार्यवाही मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में विहित प्रावधानों एंव प्रक्रियाओं के विरूद्ध होने से दूषित है जिसके कारण राजस्व निरीक्षक, वृत्त चनौड़ी तहसील जैतपुर जिला शहडौल द्वारा प्रकरण क्रमांक 1/2013-14 अ-12 में पारित आदेश दिनांक 18-1.2-2013 स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आँशिक रूप से स्वीकार की जाकर राजस्व निरीक्षक, वृत्त चनौड़ी तहसील जैतपुर जिला शहडौल द्वारा प्रकरण क्रमांक 1/2013-14 अ-12 में पारित आदेश दिनांक 18-12-2013 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार जैतपुर की ओर इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वाद विचारित भूमि का पुर्नसीमांकन 30 दिवस के भीतर कराकर हितबद्ध पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर देकर पुनः विधिवत् आदेश पारित करें।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर